न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 357/2025

1. युनुस अली पुत्र श्री मुबारिक अली, निवासी नरहड, जिला झुंझुनूं
2. सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री छीनूलाल शर्मा, निवासी नरहड, जिला झुंझुनूं

——प्रार्थीगण

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

——अप्रार्थी

——

आवेदन पत्र बाबत राज0 उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

——

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 03.09.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है कि प्रार्थीगण युनुष अली पुत्र मुबारिक अली, निवासी नरहड व सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री छिन्नूलाल शर्मा, निवासी नरहड मे वार्ड नं0 1 से 8 व 9 से 15 की दो उचित मूल्य की दुकाने संचालित है जिसमे जिला रसद कार्यालय द्वारा नई दुकान खोलने की विज्ञप्ति जारी की गई जो कि सरकारी नियमों के विरूद्व थी। हमने माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे रिट दायर की थी। माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सलंग्न है। माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा 12.08.2025 को आदेश जारी कर आपके न्यायालय मे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 12.08.2025 की पालना करवाते हुए ग्राम नरहड स्थित उचित मूल्य दुकान पोस कोड 10625 श्री युनुस अली एवं पोस कोड 11811 श्री सुशील कुमार शर्मा को यथावत रखा जावे एवं नवीन दुकानें सृजित नही की जावे।

प्रकरण मे जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/834 दिनांक 29.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 10864/2025 सुशील कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व सी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 10893/2025 युनुस अली बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि प्रर्वतन अधिकारी, चिडावा की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत नरहड मे वर्तमान मे 2 उचित मूल्य दुकान पोस कोड 10625 श्री युनुस अली और पोस कोड 11811 श्री सुशील कुमार शर्मा संचालित है। उक्त दुकानों पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या क्रमशः 431 (यूनिट 1749) व 458 (यूनिट 1741) कुल 889 (यूनिट 3490) राशन कार्ड है। राजेश दहिया, जनप्रतिनिधि , पिलानी द्वारा ग्राम नरहड, ग्राम पंचायत नरहड, तहसील चिडावा मे नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु प्रस्ताव दिया गया। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9)खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। भौगोलिक स्थिति का बडा होना तथा उपभोक्ताओं को खाद्यान हेतु अतिरिक्त सुलभ केन्द्र उपलब्ध करवाने की मंशा के अनुरूप जनहित मे श्रीमान् जिला कलक्टर से विभागीय आदेश दिनांक 10.05.2025 के अनुसार नियमानुसार शिथिलन प्राप्त कर विज्ञपित जारी की गई है।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण युनुष अली पुत्र मुबारिक अली, निवासी नरहड व सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री छिन्नूलाल शर्मा, निवासी नरहड मे वार्ड नं0 1 से 8 व 9 से 15 की दो उचित मूल्य की दुकाने संचालित है जिसमे जिला रसद कार्यालय द्वारा नई दुकान खोलने की विज्ञप्ति जारी की गई जो कि सरकारी नियमों के विरूद्व थी। हमने माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे रिट दायर की थी। माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सलंग्न है। माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा 12.08.2025 को आदेश जारी कर आपके न्यायालय मे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 12.08.2025 की पालना करवाते हुए ग्राम नरहड स्थित उचित मूल्य दुकान पोस कोड 10625 श्री युनुस अली एवं पोस कोड़ 11811 श्री सुशील कुमार शर्मा को यथावत रखा जावे एवं नवीन दुकानें सृजित नही की जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम नरहड स्थित उक्त दुकानों पर खादय सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या कमशः 431 व यूनिट 1749 तथा राशन कार्ड की संख्या 458 व यूनिट 1741 है। विभागीय आदेश कमांक एफ 17(9))खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। दोनों ही दुकानों पर राशन कार्डो व यूनिटों की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण मे नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नरहड स्थित उचिंत मूल्य दुकान पोस कोड 10625 श्री युनुस अली एवं पोस कोड 11811 श्री सुशील कुमार शर्मा को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नही सृजित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं